

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
कमांक 69 /कुलसचिव/2020

भोपाल,दिनांक 24/3/2020

आदेश

जिलाधीश भोपाल के आदेश दिनांक 23 मार्च, 2020 तथा आज दिनांक 24 मार्च, 2020 को सायं 8.00 बजे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन / अपील / आदेश के अनुक्रम (परिपालन) में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम हेतु तत्काल प्रभाव से संपूर्ण विश्वविद्यालय को आगामी आदेश तक के लिए बंद किया जाता है ।

आदेशानुसार,

(डॉ. बी. भारती)

कुलसचिव

भोपाल,दिनांक 24/3/2020

पृ.कमांक 70 /कुलसचिव/2020
प्रतिलिपि-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. अतिरिक्त संचालक, होशंगाबाद/भोपाल संभाग की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त प्रशासनिक अधिकारी एवं शैक्षणिक विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
6. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ ।
7. विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व छात्र-छात्राओं की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ ।
8. प्रभारी, आईटी सेल की ओर इस आशय के साथ कि सूचनादेश को तत्काल वेबसाईट पर प्रदर्शित करें ।
9. कुलपति के सचिव के माध्यम से कुलपति जी के सूचनार्थ ।
10. नस्ती ।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल